न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 30/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/143

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. लीला पत्नी बाबुलाल 2. गणपतलाल पुत्र बाबुलाल 3. देवाराम पुत्र बाबुलाल 4. रविन्द शर्मा पुत्र बाबुलाल 5. महेन्द्र शर्मा पुत्र बाबुलाल 6. पारसमल पुत्र बाबुलाल समस्त जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण बेरा मातावा, ग्राम माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06/06/2025

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम माण्डा पटवार हल्का माण्डा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3019 दिनांक 17.06.2022 में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की है। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन में खसरा संख्या 385, 386, 394, 395, 401, 402, 403 आई हुई है। उक्त खातेदारी कृषि भूमि मे अपीलाण्ट संख्या 2 से 6 के पिता बाबुलाल के मालिकाना कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 403 एवं 394 में 1/3 हिस्सा है। उक्त खातेदारी से बाबुलाल ने जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 09.03.2022 के द्वारा खसरा संख्या 403 में अपने हिस्से की भूमि अपीलाण्ट संख्या 2 से 6 तथा जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 14.03.2022 के द्वारा खसरा संख्या 394 में अपने हिस्से की भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 के हिस्से में बख्शीश कर दी। जैर आराजी के पूर्व खातेदार रतनलाल के स्वर्गवास के बाद उनके तीनों पुत्रों रामदयाल, भगवानलाल, बाबुलाल के नाम दर्ज हुआ। भगवानलाल ने उक्त सातों खसरों की भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की भूमि दिनांक 02.11.1999 के

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीददार मांगीलाल, अमानराम, शैतानराम, उगीया देवी, देवाराम के नाम दर्ज हुआ। खसरा संख्या 386 की भूमि पर बाबुलाल व उसके परिवारजन के आवासीय मकान, पशुधन के बाडे एवं सिचाई हेतू ट्यूबवेल स्थित है। रामदयाल ने जैर आराजी के सम्बन्ध बंटवाडा का दावा न्यायालय सहायक कलक्टर, मारवाड जंक्शन में पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 303/2021 है। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2022 को प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.05.2022 को मौके का भौतिक सत्यापन किये बगैर खसरा संख्या 386 की भूमि सहखातेदार मांगीलाल वगैरा के नाम तथा खसरा संख्या 401, 403 व 394 की भूमि सहखातेदार बाबुलाल के हिस्से में रख दी। उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 04.02.2022 को नोटिस जारी कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.02.022 को मुकर्रर होना अंकित किया है परन्तु उक्त डिक्री दिनांक 24.05.2022 को की गई, जिसके सम्बन्ध में हमें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, जबकि प्रतिवादी बाबूलाल मौके पर उपस्थित थे, जिसने हस्ताक्षर करने से मना किया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 17.05.2022 को जैर आराजी का बक्शीशनामा के आधार पर नामान्तरकरण हेतु आवेदन पेश किया गया, जिसमें भू.अ.नि की रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 के अनुसार इन्द्राज सहीं पाया गया, जबकि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 के द्वारा खसरा मिलान नहीं होना बताते हुये जैर नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया। रेस्पोडेण्ट ने विशिष्ट हिस्से हेतु पश्चातवर्ती दिनांक में कार्रवाई करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी के पूर्व खातेदार द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में जैर आराजी का रजिस्टर्ड बख्शीनामा दिनांक 09.03.2022 एवं दिनांक 14.03.2022 को किया गया तथा उक्त आराजी का बंटवाडा का दावा न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन में दिनांक 20.10.2021 को दर्ज किया गया, जिसमे दिनांक 18.01.2022 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेण्ट द्वारा सम्बन्धित को नोटिस प्रेषित कर प्राथमिक डिक्री हेतु दिनांक मुकर्रर कर दिनांक 24.05.2022 को प्राथमिक डिक्री तैयार की तथा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण सभी पक्षकारों की आपत्तियों का निस्तारण करते हुये दिनांक 16.06.2022 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 17.05.2022 को नामान्तरकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा उक्त नामान्तरकरण के विचाराधीन होते हुये जैर आराजी से सम्बन्धित पत्रावली में अन्तिम निर्णय पारित हो जाने से अपीलाण्ट के बख्शीशनामें में अंकित खसरों का वर्तमान स्थिति से मिलान नहीं होने की स्थिति में रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण खारिज किया गया, जो कि विधिनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई विधिक त्रुटि नहीं की है अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जैर अपील को निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम माण्डा पटवार हल्का माण्डा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3019 दिनांक 17.06.2022 में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की है। उक्त

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

नामान्तरकरण रजिस्टर्ड बक्शीशनामा के आधार पर दायर किया गया था, जिसमें खातेदार बाबूलाल द्वारा अपनी सह खातेदारी भूमि में से विशिष्ट हिस्से की सिलसिलेवार बक्शीश अपीलाण्ट के पक्ष में की गई है, उक्त बक्शीशनामा दिनांक 09.03.2022 एवं दिनांक 14.03.2022 को निष्पादित किए गए है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसी भूमि को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन के समक्ष विभाजन एवं स्थाई व्यादेश का वाद विचाराधीन था, जिसमें बक्शीशकर्ता श्री बाबूलाल भी बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित था। उक्त वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, जिसकी पालना तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा दिनांक 24.05.2022 को न्यायालय में प्रेषित की गई। इससे यह सुस्पष्ट होता है कि स्वयं बाबूलाल को उक्त वाद के तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी, इसके बावजूद भी उसके द्वारा दौराने वाद भूमि का हस्तान्तरण किया गया। हालांकि अपीलाण्ट उक्त वाद में पक्षकार संयोजित नहीं थे, किन्तु ऐसा मानने का कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलाण्ट को भी उक्त वाद की जानकारी नहीं रही हो, क्योंकि अपीलाण्ट, उक्त बाबूलाल के पत्नी एवं पुत्र ही है। इस मामले में वर्णित आराजी का विभाजन सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में हुआ है तथा अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि उनके हिस्से की भूमि अन्य सह खातेदार के पक्ष में दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट विशुद्ध रूप से न्यायालय सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 303/2021 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2022 से प्रभावित होते है। इस कारण विधिक दृष्टिकोण से अपीलाण्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर अपने हितों की रक्षा हेतु चाराजोही की जानी थी, जो विकल्प अपीलाण्ट के समक्ष उपलब्ध था। यदि हस्तगत अपील की कार्रवाई के जरिये भूमि की प्रस्थिति में परिवर्तन होता है, तो वह निश्चित रूप से न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध होगा, जो विधि सम्मत नहीं है। इस स्थिति में हस्तगत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 3019 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 को यथावत रखा जाता है। प्रकरण में एक मुख्य तथ्य दृष्टिगोचर हुआ है कि नामान्तरकरण संख्या 3019 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.05.2022 को दायर किया गया तथा उस पर भू0अ0नि0 माण्डा द्वारा दिनांक 19.05.2022 को जांच कर टिप्पणी की गई है। इसके लगभग 1 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा दिनांक 17.06.2022 को उक्त नामान्तरकरण को खारिज़ किया गया। वक्त दर्ज नामान्तरकरण उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं हुआ था। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में मौका निरीक्षण हेतु दिनांक 21.05.2022 नियत की गई तथा मौका निरीक्षण दिनांक 24.05.2022 को किया गया था, जबकि उक्त दिनांक से पूर्व ही जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया जाकर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में बतौर भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन का यह दायित्व था कि वे इन तथ्यों से न्यायालय सहायक कलक्टर, मारवाड़

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

जंक्शन को अवगत कराते तथा अपनी रिपोर्ट में भी इन तथ्यों को रेखांकित करते, किन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं न्यायालय सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन द्वारा दिनांक 16.06.2022 को डिक्री पारित होने के अगले ही दिवस उक्त डिक्री के आधार पर नामान्तरकरणों को खारिज किया गया। इस सम्पूर्ण घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण को जानबूझकर लम्बित रखा, जिससे रेकर्ड की प्रस्थिति में परिवर्तन हो सके। यह स्थिति विधि सम्मत नहीं है, साथ ही एक लोकसेवक के पदीय कर्तव्यों के विरूद्ध है। अतः तत्कालीन तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु इस निर्णय की प्रतिलिपि जिला कलक्टर, पाली को पृथक से भिजवाई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)